

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2677]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12, 2015/अग्रहायण 21, 1937

No. 2677]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 2015/AGRAHAYANA 21, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3374(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (अ) के अनुसरण में 20 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2448(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2014 में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

"**श्री अवधेश सिंह**, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद, सक्षम प्राधिकारी, पटना- मोतीहारी- बैतालपुर शाखा पाइपलाइन परियोजना एण्ड एक्जिस्टिंग बीकेपीएल पाइपलाइन का पुन-अनुमार्गण, पाइपलाइंस डिवीजन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर पीपल गांव, सूबेदारगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211 012" शब्दों के स्थान पर, "**श्री बसन्त अग्रवाल**, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद, सक्षम प्राधिकारी, एक्जिस्टिंग बीकेपीएल पाइपलाइन का पुन-अनुमार्गण, पाइपलाइंस डिवीजन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डाकघर पीपल गांव, सूबेदारगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211 012" शब्द रखे जाएंगे।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 25011/ 13/14-ओ आर-1]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2015

S.O. 3374(E).— In pursuance of clause (a) of section 2 of Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2448(E) dated 18th September, 2014, published in the Gazette of India on 20th September, 2014 namely:

In the said notification, in the schedule, **for the words “ Shri Awadhesh Singh, Competent Authority, Re-routing of existing BKPL Pipeline, Pipelines Division, Indian Oil Corporation Ltd., P.O. Pipalgaon, Subedarganj, Allahabad, Uttar Pradesh-211 012” the words “Shri Basant Agrawal, Competent Authority, Patna-Motihari-Baitalpur Branch Pipeline Project and Re-routing of existing BKPL Pipeline, Pipelines Division, Indian Oil Corporation Ltd., P.O. Pipalgaon, Subedarganj, Allahabad, Uttar Pradesh-211 012” shall be substituted.**

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-25011/13/14-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.